न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 39/2024

1. अमरलाल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद जाति बिश्नोई निवासी– रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री पन्ना लाल जाति बिश्नोई निवासी – रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. उग्रसेन
2. विजेन्द्र कुमार } पुत्रगण बलवन्त राय जाति बिश्नोई निवासीयान रोहिडावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. भूपेन्द्र,
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीगंगानगर ।

– –अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री मोहन लाल माहर अधिवक्ता – – प्रार्थीगण
2. श्री बलराम सुथार – – – अप्रार्थी संख्या 1 ता 3
3. पैरोकार राज – – अप्रार्थी संख्या 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–29.10.2024

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वार्क चक 3 पी बड़ी के खाता संख्या 2/23 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 4 ता 8, 13 ता 8 व 23 ता 25 की कुल 3.215 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदार दर्ज है तथा कब्जे काश्त में है। इसी चक के खाता संख्या 42/23 के किला नम्बर 1 ता 3, 9 ता 12 तथा 19 ता 25 की 2.708 राजेन्द्र प्रसाद अमरलाल हैक्टेयर प्रार्थी की माता लीला देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की माता का देहान्त हो चुका है, इसलिए कब्जा काश्त एवं स्वामित्व प्रार्थी संख्या 1 के पास है । इसी चक के खाता संख्या 33/23 के मुरब्बा नम्बर 7,14 व 38/10 की कुल है कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसका स्वामित्व एवं कब्जा प्रार्थी संख्या 2 का है। प्रार्थीगण के पिता– पुत्र होने के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

कारण संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। जिसे आगे प्रश्नगत् कृषि भूमि उल्लेखित किया जायेगा। वाके चक 3 पी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 27/20 के मुरब्बा नम्बर 7 की 1.760 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 14 की 6.036 हैक्टेयर तथा मुरब्बा नम्बर 38/11, की 0.126 हैक़्टेयर कुल 7.9220 हैक्टेयर कृषि भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की खातेदारी कृषि भूमि है जो अप्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त में है । प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के लिए कोई भी स्वीकृत शुदा रास्ता नही है। प्रार्थी संख्या 2 की कृषि भूमि वाके चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21/2 ता 25/2 के प्रत्येक के 0.013–0.013 हैक्टेयर कृषि भूमि एवं चिपते मुरब्बे के खाले की परिसीमा में से होकर मुरब्बा नम्बर 13 में प्रवेश करते थे। किन्तु वर्तमान में चिपते मुरब्बे के काश्तकारों ने खाले की सीमा में तारबन्दी करने के कारण आवागमन में अड़चन पैदा हो गई है चूंकि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में बाग लगा रखा है जिसमें 8.3" फुट के रास्ते में से कृषि संयन्त्र एवं साधन आने–जाने में भारी परेशानी होती है। प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता है तथा प्रार्थीगण के पास किसी प्रकार का कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नही है जिससे प्रार्थीगण की अपनी कृषि भूमि की सार–सम्भाल समुचित रूप से नही कर पा रहे हैं। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20,21 में स्वीकृत शुदा रास्ते से किला नम्बर 21 ता 25 में से होकर अपने कृषि भूमि में प्रवेश करते हैं जो कि अत्यान्तिक संकरण होने के कारण चिपते (किला नम्बर 21/1 ता 25 के) किलों में से प्रत्येक में 0.01–0.01 बिस्वा अथर्ति 8.3" इंच स्वीकृति अप्रार्थीगण को सहमति के आधार पर दिनांक 8.2.23 को निवेदन किया तो वे कतई इनकार हो गये और धमकी दी कि किला नम्बर 21/1 ता 25/1 के किलों में चल रहे रास्ते को भी बन्द करवायेंगें । यही वाद कारण है । प्रार्थीगण के प्रचलित रास्ते के चिपते कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21 ता 25 में से रास्ता स्वीकृत (8.3 इंच अथर्ति 1–1 बिस्वा) स्वीकृति हेतु प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति हेतु तत्पर है। यह है कि प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के सुनवाई योग्य, क्षेत्राधिकार एवं उचित न्याय शुल्क पर प्रेषित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 13 की कृषि भूमि हेतु मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21 ता 25 में प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी कृषि भूमि 21/1 से 25/1 के चिपते 8.3" फुट अथर्ति 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृति किया जावे तो जनाब की मेहरबानी होगी ।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1-3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र 251 ए आर.टी.ए. पेश करना नहीं चाहने पर जवाब प्रार्थना 251ए आर.टी.ए. बंद किया गया।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

—:: आदेश ::—

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थीगण द्वारा बहस में कथन किए गये कि यदि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी को ऐतराज नहीं है। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा पक्की सडक से एक बीघा दूरी पर भी रास्ता मांगा जा सकता था। यदि प्रार्थी की माता की भूमि उसके पति के पास कब्जा काश्त में है तो उक्त कृषि भूमि में से आना जा रहा हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा लीला देवी के जायज वारिसान की सूची पेश नहीं की गई है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रास्ता स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किय जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251ए खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक **29.10.2024** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर